फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर, जयपुर - I

मन्नाराम बनाम राज० सरकार

संख्या / वर्ष 35/2020 : /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/5/24.	दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि अप्रार्थी /वादीगणों ने वादपत्र के साथ संलग्न राजस्व नक्शे में खसरा नं. 703 के पश्चिम में व खसरा नं. 704 व 705 के दक्षिण में वर्णित कृषि भूमि, जिसे 'क' से प्रदर्शित किया गया है, वादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि मार्क 'क' पर खातेदारी अधिकार दिए जाने का क्लेम किया है, जबकि वादीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह दावा पेश किया गया है, क्यों कि वादीगण द्वारा खुद को खसरा नं. 704 एवं 705 का खातेदार होना कथित किया है, जबकि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादीगण उक्त खसरा के खातेदार नहीं है।	

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर, जायपुर न०
मन्नाराम बनाम राज० सरकार
मुकदमा संख्या / वर्ष 35/2020 /20

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30.6 ...	प्रार्थी ने दौराने बहस यह भी जाहिर किया कि वादीगण द्वारा कथित मार्क 'क' कृषि भूमि खसरा नम्बर 724 का भाग है, जो कि हलका पटवारी, व रिपोर्ट एवं राजस्व नक्शे से स्पष्ट है। वर्तमान में खसरा नं. 724 के खातेदारी अधिकारी अधिकार, प्रार्थी/प्रतिवादी सं. -4 को प्राप्त हैं, जिस पर प्रतिवादी काबिज काश्त हैं; अतः मनगढ़न्त तथ्यों पर पेश वाद-पत्र को खारिज फरमाया जावे एवं O7R11, CPC के प्रा० पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता ने इस सम्बन्ध में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किए — ① case. Abdul Majid and Ors. Vs. Abdul Gaffar & Ors.

[illegible]

फर्द अहकाम

लय सहायक कलेक्टर, जयपुर -7

मन्नाराम बनाम राज० सरकार

मा संख्या/वर्ष 35/2020 : /20

10	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30.5.24.	[Allahabad High Court, Second Appeal No. 2435/1986, decided On 20.03.1996] (2) Badhu Das and Ors. Vs. Uttam Charan Pattanaik [Orissa High Court, second Appeal No. 158 of 1987, decided on 10.05.2006] (3) I.T.C. limited Vs Debts Recovery Appellate Tribunal & ors. [Supreme Court of India, Civil Appeal No. 8864 of 1997, decided on 19.12.1997 (4) T. Arivandandam Vs. T.V. Satyapal & ors. [Supreme Court of India, SLP (C) No. 4483 of 1977. decided on 14.10.1977 [signature] सहायक कलेक्टर जयपुर ...	

न्यायालय सहायक कलेक्टर, जयपुर - प्रथम

मलाराम बनाम राज० सरकार

मुकदमा संख्या / वर्ष 3/2020 : ______ / 20

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30/5/21	अप्रार्थीगण / वादीगण ने दौराने बहस अपने जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वाद-पत्र में विवादित कृषि भूमि पर वादीगण की तारबंदी की हुयी है एवं वादीगण अपने पूर्वजों के समय से ही उपयोग उपभोग में लेते आ रहे हैं। एवं प्रार्थी / प्रतिवादी सं. - 04 द्वारा वादीगण के सह-काश्तकारों से कृषि भूमि खरीद की है एवं खरीद-शुदा भूमि पर तारबंदी कर अपने उपयोग - उपभोग में ले रहे हैं, जिसमें वादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी अधि० ने यह भी कथन किया विवादित कृषि भूमि, कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रही है, इसलिए

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

यालय सहायक कलेक्टर, जयपुर-प्रथम

मन्नाराम वनाम राज० सरकार

कदमा संख्या / वर्ष 35/2020 : /20

0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/5/24.	सुनवाई का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रतिवादी सं-4 / प्रार्थी ने अनवानी मुकदमा की सुनवाई में जानबूझकर देरी करने की गरज से हस्तगत प्रा० पत्र पेश किया है, इसलिए प्रार्थी का प्राणपत्र अन्तर्गत O7R11, CPC सपठित धारा-151, CPC-1908 खारिज फरमाया जावे। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली मय रिकॉर्ड के गहनतापूर्वक अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि वादी ने यह वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188, राज० काश्तकारी	

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

न्यायालय सहायक कलेक्टर, जयपुर -I.

भगाराम बनाम राज० सरकार

: /20

मुकदमा संख्या / वर्ष 35/2010.

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30.5.24.	अधिनियम, 1955 पेश किया है। वादी ने जिस विवादग्रस्त भूमि पर घोषणा का अनुतोष चाहा है, उसका कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है कि उक्त खसरा नम्बर कौनसा है। वादी द्वारा पेश वाद-पत्र के साथ संलग्न राजस्व नक्शे में कई खसरा नम्बरान से घिरे हुए कृषि भूमि के भाग को 'क' से मार्क किया गया है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड और राजस्व नक्शे में कोई अलग से खसरा नहीं है और ना ही जमाबंदी में अंकन है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व

फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर, जयपुर -II

मलाराम बनाम राज० सरकार

संख्या / वर्ष 35/2020. : /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30 5/24.	नक्शे से स्पष्ट है कि जिस भूमि (मार्क - 'क' - पीले रंग से प्रदर्शित) पर वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है, वह मार्क 'क' कृषि भूमि एक से अधिक खसरा नम्बरान - खसरा नं. 703, खसरा नं. 704, 705, 724 से घिरी हुयी है और इन सभी खसरा नम्बरों का आंशिक अथवा पूर्ण भाग है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नं. 703, ग्राम कालवाड, भू. अ. नि० क्षेत्र कालवाड़, जिला - जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण, के नाम, 'गैर मुमकिन रास्ता' के रूप में दर्ज है।	

सहायक कलेक्टर जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर, जयपुर-I

मनाराम बनाम राज० सरकार

: /20

मुकदमा संख्या/वर्ष 35/2020.

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30/5/24	खसरा नम्बर 704 एवं 705, ग्राम कालवाड़, भू. अ० नि० क्षेत्र कालवाड़, जिला-जयपुर दीगर काश्तकारों के नाम दर्ज है, वादीगण के नाम दर्ज नहीं है। वादीगण ने खसरा नं. 704 एवं 705 के सह-खातेदारों को पक्षकार भी नहीं बनाया है। खसरा नं. 724, ग्राम-कालवाड़, भू-अ० नि० क्षेत्र-कालवाड़, जिला-जयपुर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 'चरणजीत कौर पत्नी रविन्द्र सिंह ढिल्लों' के नाम दर्ज है, जिसे कि प्रतिवादी सं. 5 के पुत्र द्वारा वादीगण के पूर्वजों से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, क्रय की गयी थी। वादी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर, जयपुर -प्रथम

नाराम ______ बनाम राज० सरकार

संख्या / वर्ष 35/2020. : ______ / 20 ______

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/5/24	निष्कर्षतः नक्शे के अनुसार वर्णित उक्त विवादग्रस्त मार्क-'क' कृषि भूमि यदि आंशिक या पूर्णतः खसरा नं. 703 का हिस्सा है तो जयपुर विकास प्रा० के नाम दर्ज यह 'गैर मुमकिन रास्ता' राज० काश्तकारी अधि० 1955, धारा-(16) के अन्तर्गत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है, जिस पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती। यदि विवादित मार्क 'क' कृषि भूमि खसरा नं. 704, 705 या 724 का आंशिक या पूर्ण हिस्सा है, तो वादीगण / वादीगण के पूर्वजों द्वारा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का अंतरण कर दिए जाने के कारण वादीगण का	

सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर, जयपुर न

न्यायालय ———— मन्नाराम ———— बनाम — राज० सरकार

: ———— / 20

मुकदमा संख्या / वर्ष

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30/5/24	कोई locus standi शेष नहीं बचा है। वादीगण के पूर्वजों द्वारा ही खसरा नं. 724 की भूमि का बेचान जरिए रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र, प्रतिवादी सं. 4 के पुत्र को कर दिया गया था। सारतः उपरोक्तानुसार उक्त विवादित खसरा नम्बरान की भूमियों पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना विधि द्वारा वर्जित है। इसके साथ ही वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का भी अनुतोष चाहा गया है। वादी द्वारा विवादित मार्क 'क' कृषि भूमि में किसी स्पष्ट खसरा का उल्लेख नहीं है। जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अस्पष्टता (Vagueness) को दर्शाता है। उक्त मार्क 'क' कृषि भूमि

[signature]

फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर, जयपुर

मन्नाराम बनाम राज० सरकार

संख्या / वर्ष 35/2020 : / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/5/24.	पर वादी रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है, इसलिए Title के अभाव में, धारा-188 राज० काश्तकारी अधि० 1955 से बाधित होने के कारण स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी दिया जाना न्यायोचित नहीं समझते। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र 07R11, CPC आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण एवं विवादित कृषि भूमि की अस्पष्ट विवेचना से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 30/5/24 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम	